भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 1858

दिनांक 16 दिसंबर, 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

अंग दान को बढ़ावा देना

1858 # श्री गोविंदभाई लालजी भाई धोलकिया:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अंगदान को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकारों के सहयोग से क्या कदम उठाए गए हैं;
(ख) देश में शवदान, जीवित किडनी और लीवर प्रत्यारोपण की प्रतीक्षा कर रहे लोगों की संख्या कितनी-कितनी है;
(ग) विगत तीन वर्षों के दौरान देश में कितने नागरिकों का अंग प्रत्यारोपण किया गया;
(घ) सरकार इन ऑपरेशन की लागत कम करने के लिए क्या कदम उठा रही है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आम लोगों को इसका लाभ प्राप्त हो सके; और
(ङ) क्या मंत्रालय प्रत्येक राज्य में मानव अंग बैंक की स्थापना करने और इसके लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने का विचार रखता है?

उत्तर
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) सरकार राष्ट्रीय अंग प्रत्यारोपण कार्यक्रम (एनओटीपी) लागू कर रही है, जिसके तहत अंग एवं ऊतक प्रत्यारोपण संगठनों की स्थापना की गई है, इनमें राष्ट्रीय स्तर पर 1 राष्ट्रीय अंग एवं ऊतक प्रत्यारोपण संगठन (एनओटीटीओ), क्षेत्रीय स्तर पर 5 अंग एवं ऊतक प्रत्यारोपण संगठन (आरओटीटीओ) और राज्य स्तर पर 26 राज्य अंग एवं ऊतक प्रत्यारोपण संगठन (एसओटीटीओ) शामिल हैं। ये संगठन विभिन्न हितधारकों के साथ जुड़कर अंग एवं ऊतक दान को बढ़ावा देने के लिए जागरूकता कार्यक्रम चलाते हैं। अंग प्रत्यारोपण से संबंधित खेल, पोस्टर बनाना, नारे लिखना और विशेष प्रतिज्ञा अभियान जैसे विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम नियमित रूप से आयोजित किए जाते हैं। एनओटीटीओ की वेबसाइट www.notto.mohfw.gov.in पर अंग और ऊतक दान से संबंधित जानकारी प्रसारित की जाती है, जिसमें सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी) संबंधी सामग्री का प्रदर्शन भी शामिल है। इसके अलावा, अंगदान के लिए जानकारी, टेली-काउंसलिंग और समन्वय प्रदान करने के लिए एक 24x7 कॉल सेंटर कार्यरत है, जिसका टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर (1800114770) भी उपलब्ध है।

सोशल मीडिया (फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, एनओटीटीओ के यूट्यूब चैनल) के माध्यम से संदेशों का प्रसार प्रतिदिन किया जाता है।

नागरिकों को अंग और ऊतक दान के लिए प्रतिज्ञा करने में सुविधा प्रदान करने के लिए, एक समर्पित वेब पोर्टल https://notto.abdm.gov.in कार्यरत है, जिसके माध्यम से दिनांक 17 सितंबर, 2023 से अब तक 4.5 लाख से अधिक आधार सत्यापित प्रतिज्ञाएं पंजीकृत की जा चुकी हैं।

(ख) राष्ट्रीय रजिस्ट्री पोर्टल पर ऑनलाइन उपलब्ध प्रत्यारोपण अस्पतालों द्वारा रिपोर्ट/अद्यतन किए गए आंकड़ों के अनुसार, 8 दिसंबर 2025 तक, गुर्दा प्रत्यारोपण के लिए 60,590 मरीज और यकृत प्रत्यारोपण के लिए 18,724 मरीज प्रतीक्षा सूची में हैं।

(ग) पिछले तीन वर्षों यानी 2022, 2023 और 2024 के दौरान देश में अंग प्रत्यारोपण प्राप्त करने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या क्रमशः 15968, 18336 और 18811 थी।

(घ) भारत सरकार राष्ट्रीय अंग प्रत्यारोपण कार्यक्रम लागू कर रही है, जो एक केंद्रीय क्षेत्र योजना है, इसका उद्देश्य मृत व्यक्तियों के अंगदान को बढ़ावा देकर देश के जरूरतमंद नागरिकों के लिए जीवन-परिवर्तनकारी प्रत्यारोपण की सुविधा को बेहतर बनाना है। इस योजना के तहत राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और राज्य स्तर पर अंग और ऊतक प्रत्यारोपण संगठनों का नेटवर्क स्थापित करने, अंग-रिट्रिवल, प्रत्यारोपण और ऊतक बैंकिंग के लिए सरकारी संस्थानों में बुनियादी ढांचे को मजबूत करने, प्रत्यारोपण समन्वयकों की नियुक्ति, गरीब मरीजों को प्रति माह 10,000 रुपये तक की प्रत्यारोपणोत्तर प्रतिरक्षादमनकारी दवाएं और अंग परिवहन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। सार्वजनिक क्षेत्र के अस्पतालों में अंग प्रत्यारोपण आमतौर पर निःशुल्क या रियायती दर पर किया जाता है।

भारत सरकार, पीएमजेएवाई (आयुष्मान भारत मिशन) के तहत पात्र लाभार्थियों को वित्तीय सहायता भी प्रदान करती है, जिसमें गुर्दा प्रत्यारोपण शामिल है; राष्ट्रीय आरोग्य निधि, जिसमें गुर्दा, यकृत, हृदय, फेफड़े का प्रत्यारोपण, डायलिसिस और प्रत्यारोपण के बाद दी जाने वाली प्रतिरक्षादमनकारी दवाएं शामिल हैं; प्रधान मंत्री राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम (पीएमएनडीपी) के तहत जिला स्तर पर मुफ्त डायलिसिस प्रदान किया जाता है; और पीएमबीजेपी (प्रधान मंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना), जिसके तहत प्रत्यारोपण के बाद दी जाने वाली प्रतिरक्षादमनकारी दवाओं सहित गुणवत्तापूर्ण दवाएं किफायती कीमत पर उपलब्ध कराई जाती हैं।

(ङ) निकाले गए अंगों को सीमित समय तक ही सुरक्षित रखा जा सकता है और उन्हें कार्यशील बनाए रखने के लिए यथाशीघ्र प्रत्यारोपित करना आवश्यक है। इसलिए, अंग बैंकिंग तकनीकी रूप से संभव नहीं है। तथापि, कॉर्निया, त्वचा, हड्डियां और हृदय वाल्व जैसे ऊतकों को ऊतक बैंक/बायोमटेरियल केंद्र में संग्रहित किया जा सकता है।

एनओटीपी के तहत, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर, सरकारी चिकित्सा संस्थानों में क्षेत्रीय/राज्य स्तरीय जैव-सामग्री केंद्र (ऊतक बैंक) स्थापित करने के लिए वित्तीय अनुदान प्रदान किया जाता है।

*****